FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) मुकाम

कृष्ण कुमार बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र नं. 189/2019 सन् ....

तारीख	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
.../19	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act. का कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 26.7.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
26/7/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 11.9.19 को पेश हो।	
11/9/19	अभिभाषकगण द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है मिसल दिनांक 26-9-19 को पेश हो। जाँच रिपोर्ट प्राप्त आख्या [illegible] रहे।	
26/9/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब स्थानान्तरण पर [illegible] चुके हैं। मिसल दिनांक 6-11-19 को पेश हो।	
6/11/19	वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 17/12/19 को पेश हो।	
17/12/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अशुद्ध दर्ज होना कथन करते हुए शुद्ध करने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार विवादित कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण के जरिए दर्ज हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा प्राप्त कुर्सीनामा व उसकी की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्… अह… हुक्… में
	गई जाँच के आधार पर दर्ज किया जाता है व सक्षम अधिकारी द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच के अवलोकन व अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए नामान्तरकरण को स्वीकृत का आदेश देता है, जो नामान्तरकरण दर्ज होने व स्वीकृत होने की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तस्दीक किया जाता है जिस कारण प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में विहित प्रक्रिया के अधीन दर्ज हुआ है जिसमें धारा 136 भू राजस्व अधिनियम आकर्षित नहीं होते हैं तथा भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी चाहे गये अनुतोष के लिए अन्य कानूनी विकल्पों के प्रयोग हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं होने से अस्वीकृत कर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	